न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 57/2015

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र धन्ना
2. सुणी लाल पुत्र धन्ना (दौराने दावा फौत)
   2/1 फूली देवी पत्नी सुणीलाल
   2/2 पूरणमल पुत्र सुणीलाल
   2/3 सांवरमल पुत्र सुणीलाल
   2/4 गोविन्दराम पुत्र सुणीलाल
   2/5 शारदा देवी पुत्री सुणीलाल
   2/6 अनिता देवी पुत्री सुणीलाल
3. बरजी देवी बैवा धन्ना

   जाति समस्त माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति धन्नी देवी पत्नि नन्छूराम,
2. नारायण पुत्र भैरू लाल (दौराने दावा फौत)
   2/1 पांची देवी पत्नी नारायण
   2/2 मोहन लाल पुत्र नारायण
   2/3 दयाशंकर लाल पुत्र नारायण
   2/4 भूरी देवी पुत्री नारायण
   2/5 मनभरी देवी पुत्री नारायण
   2/6 कैलाशी देवी पुत्री नारायण
   2/7 राधेश्याम पुत्र नारायण (दौराने दावा फौत)
   2/8 रूडी देवी पत्नी राधेश्याम
   2/9 सरदार पुत्र राधेश्याम
   2/10 पूरण पुत्र राधेश्याम
   2/11 रामधन पुत्र राधेश्याम
   2/12 सीताराम पुत्र राधेश्याम
   2/13 अर्जून लाल पुत्र राधेश्याम
   2/14 छोटी लाल पुत्र राधेश्याम
   2/15 गोविन्द पुत्र राधेश्याम
   2/16 पार्वती देवी पुत्री राधेश्याम

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 17.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, पटवार हल्का सामोद, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 33 के हाल खसरा नम्बर 1205/2350 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.56 है0 , खसरा नम्बर 1437/2353 रकबा 0.01 है0, खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 1440/2222 रकबा 0.10 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि स्थित हैं तथा वादीगण की भूमि के दक्षिणी ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की खातेदारी भूमि जिसके आराजी खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.06 है0 स्थित हैं तथा वादीगण की भूमि के पूर्वी ओर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1423 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित है।

वादीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1440/2222 व खसरा नम्बर 1437/2353 के दक्षिणी और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खसरा नम्बर 1440 की भूमि स्थित हैं तथा खसरा नम्बर र1435 के पूर्वी और प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1427 स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की भूमियों के मध्य सींव डोल बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर के मध्य जो सींव डोल हैं, उन्हे ही वाद पत्र के अग्रिम मदो में विवादग्रस्त डोल कहां गया है।

वादीगण द्वारा तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक/भू/अ/2001/1338 दिनांक 11.05.2001 की पालना में दिनांक 30.01.2002 में अपनी आराजी खसरा नम्बर 1435, 1436, 1440/2222 व 1437/2353 का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा कायम करवाई गई थी तभी से मौके पर वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर की सींव पर डोल बना रखी हैं एवं अपनी भूमि को जानवरों से सुरक्षा के लिये सींव डोल से आबद्ध कर रखा हैं।

सन् 2002 से 2014 तक तो वादीगण को प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की कोई परेशानी नही रही, किन्तु दिनांक 17.03.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने एकराय होकर हाथों में फावडे व ट्रेक्टर लेकर काफी मजदूरों के साथ आये तथा वादीगण की खसरा नम्बर 1435 व खसरा नम्बर 1440/2222 व 1437/2353 की सींवडोल को तोडकर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करने लग गये, इस पर वादीगण ने आकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को समझाया कि वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर का तहसीलदार चौमूं से सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही सींवडोल बनाई हैं, उसके पश्चात् 2002 से आज तक यह डोल बनी हुई हैं, तुम इसे तोडकर अपनी भूमि में नही मिला सकते, यदि तुम्हें कोई गलत फहमी हैं तो तुम दुबारा से अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा सकते हो। इस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उग्र हो गये और वादीगण को मारपीट करने के लिये दौडे, आस पडौसीयों द्वारा बीच बचाव करवाने एवं सीमाज्ञान करवाने के लिये समझाने पर चल गये। किन्तु धमकी देकर गये कि हमारे पास राजनैतिक एप्रोच हैं, हम कभी भी सींवडोल तोड कर तुम्हारी भूमि पर अतिक्रमण कर लेंगे। वादीगण ने इसकी शिकायत प्रतिवादी संख्या 3 से की किन्तु उन्होने इस ओर कोई ध्यान नही दिया।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषैधाज्ञा का मय हर्जा व खर्चा के डिक्रि फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वादीगण की खसरा नम्बर 1435 की पूर्वी डोल को तथा खसरा नम्बर 1440/2222 व 1437/2353 की दक्षिणी डोल में किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड नहीं करे, ना ही वादीगण की उक्त भूमि में कब्जा करें, ना ही वादीगण को उनकी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 वादीगण की शिकायत पर तुरन्त समाधान करे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। उपरोक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आदि के जरिये करवायें। यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें तथा अन्य अनुतोष जो हित कर वादीगण हो प्रतिवादीगण से ओर दिलवाया जावें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार

Scanned by CamScanner

है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 33 के हाल खसरा नम्बर 1205/2350 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.56 है0 , खसरा नम्बर 1437/2353 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1440/2222 रकबा 0.10 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.89 है0 ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, पटवार हल्का सामोद, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 57/2015

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र धन्ना
2. सुणी लाल पुत्र धन्ना (दौराने दावा फौत)
   2/1 फूली देवी पत्नी सुणीलाल
   2/2 पूरणमल पुत्र सुणीलाल
   2/3 सांवरमल पुत्र सुणीलाल
   2/4 गोविन्दराम पुत्र सुणीलाल
   2/5 शारदा देवी पुत्री सुणीलाल
   2/6 अनिता देवी पुत्री सुणीलाल
3. बरजी देवी बैवा धन्ना
   जाति समस्त माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति धन्नी देवी पत्नि नन्छूराम,
2. नारायण पुत्र भैरू लाल (दौराने दावा फौत)
   2/1 पांची देवी पत्नी नारायण
   2/2 मोहन लाल पुत्र नारायण
   2/3 दयाशंकर लाल पुत्र नारायण
   2/4 भूरी देवी पुत्री नारायण
   2/5 मनभरी देवी पुत्री नारायण
   2/6 कैलाशी देवी पुत्री नारायण
   2/7 राधेश्याम पुत्र नारायण (दौराने दावा फौत)
   2/8 रूडी देवी पत्नी राधेश्याम
   2/9 सरदार पुत्र राधेश्याम
   2/10 पूरण पुत्र राधेश्याम
   2/11 रामधन पुत्र राधेश्याम
   2/12 सीताराम पुत्र राधेश्याम
   2/13 अर्जून लाल पुत्र राधेश्याम
   2/14 छोटी लाल पुत्र राधेश्याम
   2/15 गोविन्द पुत्र राधेश्याम
   2/16 पार्वती देवी पुत्री राधेश्याम
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी

Scanned by CamScanner

का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 33 के हाल खसरा नम्बर 1205/2350 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.56 है0 , खसरा नम्बर 1437/2353 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1440/2222 रकबा 0.10 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.89 है0 ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, पटवार हल्का सामोद, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करे। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 17.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: